

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक पत्रा ( ) वसु/मुवसं/2020-21/2359  
निमित्त,

दिनांक :- 28.05.2020

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Construction of B.T. Road from Nainbara to Vardi Khat Km 0/0 to 9/800 at tehsil Jhadol, District – Udaipur (Rajasthan) (Proposal No.FP/ RJ/ ROAD / 38770/ 2019)


संदर्भ:- उप वन संरक्षक, उदयपुर का एफ() तकनीकी/उवस/उदय/2019-20/ 1190 दिनांक 24.02.2020 तथा 3055 दिनांक 27.05.2020 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि B.T. Road from Nainbara to Vardi Khat Road सड़क के निर्माण हेतु वन विभाग की 7.0875 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के क्रम में उप वन संरक्षक, उदयपुर की टिप्पणी अनुसार यह कार्यालय भी सहमत है कि प्रस्तावित सड़क के पूरे पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने के कारण कटिंग/फिलींग होने से मृदा का कटाव होगा तथा पारिस्थितिकी तन्त्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिससे वन्य जीवों के स्वतन्त्र विचरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। वनक्षेत्र में एवं वन्यजीवों पर होने वाले दूरगामी दुष्परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने की अनुशंसा के साथ मूल प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार। (मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों)

भवदीय,

  
(बी. प्रवीण)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।




क्रमांक पत्रा ( ) वसु/मुवसं/2020/2360-61

दिनांक: 28.05.2020

प्रतिलिपि:- 1-उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 1190 दिनांक 24.2.2020 3055 दिनांक 27.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

2-सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उप खण्ड परसाद।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।





### PART - III

(to be filled by the concerned Chief Conservator of Forests)

Proposal No. FP/RJ/ROAD/38770/2019

14.	Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Chief Conservator of forests (Yes/No.) , if yes the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.	Inspection is not mandatory as the forest area involved is only 7.0875 ha. (Below 40 ha.)
15.	Whether the concerned Chief Conservator of Forests agrees with the information given in Part-A and Part-B the recommendations of Deputy Conservator of Forests.	Agree with the information given in Part A & recommendations of D.C.F. Udaipur in part B.
16.	Specific recommendation of concerned Chief Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	There exists an alternate road as per the maps provided. The proposed road divides the forest area along the ridge line, hence the proposal is not recommended for acceptance.

Dated : 28.05.2020

Place : Udaipur

  
( B. Praveen )

Addl.Principal Chief Conservator of Forests  
Office of Chief Conservator of Forests  
Udaipur